AMRIT VICHAR

मासिक धर्म को लेकर स्पष्ट नीति बने, जागरुकता भी बढ़े

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: महिलाओं का मासिक धर्म एक प्राकृतिक क्रिया है, जिससे महिलाएं ही नहीं, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और नॉनबाइनरी भी प्रभावित होते हैं। इससे बड़ी आबादी प्रभावित होती है लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नीतियां नहीं बनाई गई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध में कार्यस्थलों पर अनुकूल वातावरण और सुविधाओं के अभाव पर भारत सहित वैश्विक अध्ययन का खुलासा किया गया है। विश्वविद्यालय की डॉ. ऋचा सक्सेना के शोध अध्ययन में इसका विस्तार से खुलासा किया गया है।

- लखनऊ विश्वविद्यालय की शिक्षिका ने किया शोध

दो प्रमुख समस्याओं को किया गया रेखांकित

- **पीरियड पॉवर्टी :** सुरक्षित जल, स्वच्छता और सस्ते-सुलभ मासिक धर्म उत्पादों की कमी।
- **कार्यस्थल पर प्रबंधन :** कार्यस्थलों पर अनुकूल वातावरण और सुविधाओं का अभाव।

शोध की प्रमुख सिफारिशें

- कार्यस्थलों पर सुरक्षित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
- मासिक धर्म उत्पादों की सुलभता और वहनीयता बढ़ाई जाए।
- सामाजिक कलंक और मिथकों को दूर करने हेतु जागरूकता अभियान चले।
- मासिक धर्म अवकाश नीति को संवेदनशीलता और समानता के दृष्टिकोण से लागू किया जाए।

छोटा नागपुर लॉ जर्नल के नवीनतम अंक में प्रकाशित डॉ. ऋचा सक्सेना के शोध-पत्र नीड टू ब्लीड, हाइजीन ऑर लीव में कार्यस्थलों पर मासिक धर्म (मेंसुरेशन) से जुड़ी चुनौतियों और 'मासिक धर्म अवकाश' की आवश्यकता पर गहन अध्ययन किया गया है। डॉ. सक्सेना ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, जो महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों को भी प्रभावित करती है। इस दौरान शारीरिक असुविधा के साथ-साथ कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर अपर्याप्त सुविधाएं स्थिति को और कठिन बना देती हैं।

विदेशों में पेड पीरियड लीव नीति लागू

- जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन और हाल ही में स्पेन जैसे देशों ने 'पेड पीरियड लीव' नीति लागू की है। भारत में 2017 में संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव वापस ले लिया था, किंतु कुछ राज्य सरकारों (बिहार, केरल, दिल्ली) और निजी कंपनियों (जैसे जोमैटो, स्वीगी) ने अपनी नीतियों में मासिक धर्म अवकाश को शामिल किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस विषय पर मॉडल नीति बनाने का सुझाव भी दिया है।

> यदि नीति को सावधानीपूर्वक लागू न किया जाए तो यह लैंगिक समानता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विद्वानों ने इसे "सकारात्मक लेकिन संभावित रूप से भेदभावपूर्ण कदम" बताया है। मासिक धर्म स्वास्थ्य को केवल "महिला मुद्दा" नहीं बल्कि मानव अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा माना जाना चाहिए।

-डॉ. ऋचा सक्सेना, शोधार्थी

NBT

अगर है 'दाग' तो प्रमोशन का रास्ता नहीं होगा साफ

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय में अब दागी प्रफेसरों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिन प्रफेसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या जांच चल रही है उनके प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है।

दरअसल, अब लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रमोशन में विजिलेंस क्लीयरेंस को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी में अब विजिलेंस ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। ऐसे में अगर किसी शिक्षक के खिलाफ जांच चल रही है या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो न सिर्फ शिक्षक का प्रमोशन फंसेगा बल्कि दूसरी जगह आवेदन में भी परेशानी होगी। विवि की ओर से विजिलेंस ऑफिसर की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जल्द ही विवि प्रशासन की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

अब तक लखनऊ विश्वविद्यालय में जब भी किसी शिक्षक का प्रमोशन होता था या शिक्षक वीसी पद के लिए या दूसरी जगह फैकल्टी के लिए आवेदन करते हैं तो विवि की ओर से सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही जारी किया जाता है। विजिलेंस ऑफिसर का कोई पद ही नहीं था। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय में विजिलेंस ऑफिसर का न सिर्फ पद है बल्कि विशेष शक्तियां दी जाती हैं। जिसमें विजिलेंस ऑफिसर सीधे मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में विजिलेंस ऑफिसर की तैनाती के बाद अब सभी शिक्षकों के प्रमोशन के कागजात में विजिलेंस क्लीयरेंस भी शामिल होगा। इससे सामान्य शिक्षकों को तो कोई समस्या नहीं है लेकिन दागी शिक्षकों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी।

एलयू में विजिलेंस ऑफिसर की तैनाती का VC ने जारी किया आदेश

क्या होगा फायदा?

विजिलेंस आफिसर की तैनाती से विवि में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगर किसी शिक्षक के खिलाफ कोई मामला है तो अब वह दबाया नहीं जा सकेगा। क्योंकि विजिलेंस रिपोर्ट में उसका उल्लेख होगा। ऐसे में प्रमोशन में उन शिक्षकों को वरीयता मिलेगी, जिनका रेकॉर्ड पूरी तरह साफ है।

NBT Lens खबरों के अंदर की बात

शाम 6 बजे के बाद हॉस्टल में बाहरियों का प्रवेश प्रतिबंधित

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ: शनिवार को हुई मारपीट और बवाल के बाद अब चीफ प्रोवोस्ट की ओर हॉस्टलर्स के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें शाम छह बजे के बाद हॉस्टलों में बाहरी लोगों के प्रवेश प्रतिबंधित करने को कहा है। साथ ही हॉस्टल में बाहरी छात्रों के आने जाने पर भी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा बाहरी छात्र रह रहे हैं या नहीं इसके लिए हर सप्ताह में दो बार हॉस्टल में अटेंडेंस दर्ज करने को कहा गया है।

विवि के चीफ प्रोवोस्ट अनूप कुमार सिंह की ओर से सभी प्रोवोस्ट व सहायक प्रोवोस्ट को निर्देश जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि विवि के हॉस्टलर्स अब बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन में भी नहीं शामिल हो सकेंगे। अगर किसी प्रदर्शन व धरने में हॉस्टलर शामिल हो रहे हैं तो इसकी सूचना प्रोवोस्ट को पहले से देनी होगी। अगर बिना अनुमति के प्रदर्शन में हॉस्टलर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाल में कैंपस में कई मारपीट और बवाल की घटनाएं सामने आई है जिसमें मुख्य रूप से हॉस्टलर्स की भूमिका देखने को मिली है। इसी को ध्यान में रखते हुए विवि की ओर से यह प्रावधान किया है। इसके अलावा हॉस्टल में हीटर व ब्लोअर के उपयोग से छात्रावास का बिजली बिल भी बढ़ गया है। ऐसे में चीफ प्रोवोस्ट की ओर से नियमित चेकिंग कर इस पर तत्काल रोक लगाने को कहा गया है।

चीफ प्रोवोस्ट की ओर से जारी किया गया आदेश, सप्ताह में दो बार होगी छात्रों की अटेंडेंस, हीटर-ब्लोअर पर भी रहेगी नजर

AMAR UJALA

रोजगार : 100 कंपनियों से जुड़ेगा लखनऊ विवि

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय अब सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि रोजगार का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। विद्यार्थियों को नौकरी के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए विश्वविद्यालय का केंद्रीय प्लेसमेंट सेल देश की 100 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को एक साझा प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी में जुटा है।

इस पहल के तहत एक ऐसा डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को एक क्लिक पर यह जानकारी मिल सकेगी कि किस कंपनी में कितने पद खाली हैं और किस प्रोफाइल के लिए आवेदन किया जा सकता है। मार्च तक अधिक से अधिक कंपनियों को लखनऊ विश्वविद्यालय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर कैरिअर की राह मिल सके।

खास बात यह है कि इस व्यवस्था का लाभ सिर्फ विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लविवि से संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। अलग-अलग क्षेत्रों के पदों पर आवेदन की सुविधा देकर युवाओं को कॉर्पोरेट जगत से सीधा जोड़ा जाएगा।

कैंपस प्लेसमेंट सेल से बड़े स्तर पर निजी कंपनियों को जोड़ने की तैयारी

> विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी के लिए एक रोजगार का एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म मिल सके। इसके लिए कैंपस प्लेसमेंट सेल की ओर से काम किया जा रहा है। अभी तक अलग-अलग एक दर्जन कंपनियों में 1000 से अधिक पदों लिए करीब आठ हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं।
>
> - प्रो. अनूप भारतीय, निदेशक, प्लेसमेंट सेल, लखनऊ विश्वविद्यालय

DAINIK JAGRAN

शुगर इंडस्ट्रीज में प्लेसमेंट का मौका

जासं • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्लेसमेंट सेल ने द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिजनौर में छात्र-छात्राओं के लिए प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराए हैं। कंपनी में एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेस पद के लिए लवि की वेबसाइट पर दिए गए गूगल लिंक https://share.google/z1axRwp5czBWn6CL8 के माध्यम से 19 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रोफेसर अनूप कुमार भारतीय ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों के कार्य में कर्मचारी शिकायत निवारण, एचआर अभिलेख, आडिट आदि शामिल होंगे। इस पद के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस में विशेषज्ञता के साथ एमएसडब्ल्यू उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र हैं। केवल पास-आउट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा एक जनवरी 2026 को 30 वर्ष से कम निर्धारित है।

HINDUSTAN

पीजी छात्र नौकरी के लिए 20 तक आवेदन करें

एलयू के सीपीसी की ओर से बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था सोशल एक्सियम फाउंडेशन ने अपने प्रमुख प्रोजेक्ट सीएसीए के अंतर्गत एडवोकेसी एम्बेसडर पद के लिए भर्ती की घोषणा की है।

I NEXT

एलयू स्टूडेंट्स के पास जॉब का मौका

लखनऊ यूनिवर्सिटी की सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की तरफ से आईआर, एमएसडब्ल्यू कैंडीडेट्स के लिए शुगर इंडस्ट्रीज में एग्जीक्यूटिव और एचआर पोस्ट के लिए जॉब ऑफर की गई है, जिसके लिए कैंडीडेट्स 19 जनवरी तक वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. कैंडीडेट्स की एज 30 साल से कम होनी चाहिए.